



PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

WHAT IS PIDPI ?

PIDPI is a resolution of Government of India.

Identity of the complainant is kept confidential for all complaints lodged under it.

HOW IS PIDPI COMPLAINT FILED?

The complaint should be addressed to Secretary, CVC and the envelope should be superscribed as "PIDPI"

Name and address of the complainant should **NOT** be mentioned on the envelope but in the letter inside in a closer cover.

GUIDELINE TO ENSURE IDENTITY OF COMPLAINANT REMAINS CONFIDENTIAL

Complaints that are personally related to the complainant or addressed to other authorities may lead to disclosure of identity.

Complaint should not be sent in open condition or on public portal.

Documents that reveal identity should not be enclosed or mentioned in the complaint. Eg: documents received under RTI.

Name and address should be mentioned on the letter inside the envelope for confirmation purposes.

Complaints where confirmation not received are closed

Anonymous / pseudonymous letters are not entertained

VIGILANCE AWARENESS CAMPAIGN 2023

For more details visit : www.cvc.gov.in



लोक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई)

पीआईडीपीआई क्या है

- पीआईडीपीआई भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके तहत दर्ज सभी शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पीआईडीपीआई शिकायत कैसे दर्ज की जाती है

- शिकायत सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे के ऊपर “पीआईडीपीआई” लिखा जाना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफाफे पर नहीं बल्कि एक बंद लिफाफे के अंदर रखे गये पत्र में लिखा जाना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- ऐसी शिकायतें जो शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हैं, या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनसे पहचान का खुलासा हो सकता है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- पहचान उजागर करने वाले दस्तावेज शिकायत में संलग्न या उल्लिखित नहीं किए जाने चाहिए। जैसे: आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज।
- पुष्टि के लिए लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पते का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि नहीं होती है उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- गुमनाम/छद्म नाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता अभियान 2023

अधिक जानकारी के लिए देखें: www.cvc.gov.in



<https://www.nihsad.nic.in>



[nihsad.bhopal.7](https://www.facebook.com/nihsad.bhopal.7)



[@akmunihsad5915](https://www.youtube.com/@akmunihsad5915)



[@IcarNihsad](https://twitter.com/IcarNihsad)